न्यायालय सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास उर्मिला राजोरिया आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 73/2023/अपील/आर्म्स एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 18.12.2023
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट

उनवान

पुरूषोत्तम जांगिड आत्मज शंकरलाल जाति खाती निवासी गोविन्दपुरा टपरासीन्ता तहसील एंव जिला बूंदी।
...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी।
... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री तंवरसिंह पीतलावत अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार –रेस्पो0

::निर्णयः:

दिनांक 24.6.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृति के संबध मे पारित आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2021/25876 दिनांक 16.11.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) के विरूद्ध यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा 22 बोर रिवाल्वर/पिस्टल का नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु दिनांक 18.6.2021 को अधीनस्थ न्यायालय मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबध मे जिला पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, बूंदी एंव पुलिस अधीक्षक सीआईडी (इन्टे0) कोटा तथा उप वन सरक्षक बूंदी से रिपोर्ट चाही गई जिसके क्रम मे जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी से प्राप्त रिपोर्ट डीएसबी/बूंदी/आर्म्स ला0(न्यू)/2020/5268 दिनांक10.8.2021 अनुसार पुलिस थाना सदर एंव वृताधिकारी वृत बूंदी की रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र की आवश्यकता के लिए विशेष कारण दर्शित नही होने से नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंषा नही की जाने से अपीलार्थी का आवेदन पत्र आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2021/25876 दिनांक 16.11.2021 से खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा आर्म्स एक्ट की धारा 18 के अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 बूंदी द्वारा पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यों का समुचित परीक्षण नही किया गया। पुलिस अधीक्षक सीआईडी (इन्टे.) जोन कोटा ने आवेदक को किसी प्रकार संदिग्ध गतिविधियों मे लिप्त होना नही पाया है। अपीलार्थी के पास 40 बीधा भूमि पर काश्त करता है तथा माल बेचने बाहर आना जाना पडता है जिससे जान माल का खतरा बना रहता है जिसे कारण शस्त्र की आवश्यकता रहती है ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन आदेश अपीलांट के हितो के विपरीत है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना ही पुलिस रिपोर्ट को आधार मानकर जेरअपील निर्णय पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। थानाधिकारी ने रिपोर्ट मनमाने रूप से दुर्भावना पूर्वक पेश की है। शस्त्र चलाने का प्रमाण पत्र भी अपीलांट ने सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यो का समुचित परीखण किये बिना जेरअपील आदेश पाारित कर त्रुटि की है अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश अपास्त किया जावे तथा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक कोटा शहर की रिपोर्ट को आधार मानते हुये आवेदन पत्र को निरस्त करने मे त्रुटि की है। पुलिस अधीक्षक ने थानाधिकारी व वृताधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंसा नही की है। थानाधिकारी की रिपोर्ट मनमानी व दुर्भावनापूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यों का समुचित परीक्षण किये बगेर तथा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना आवेदन पत्र को जेरअपील आदेश से निरस्त कर त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश अपास्त किया जावे।

4 रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय का अदेश न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनाा पत्र एंव स्वयं का शपथा पत्र पेश किया है। रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया है ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित मे क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव जेरअपील आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा 22 बोर रिवाल्वर/पिस्टल का नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु दिनांक 18.6.2021 को अधीनस्थ न्यायालय मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबध मे जिला पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, बूंदी एंव पुलिस अधीक्षक सीआईडी (इन्टे0) कोटा तथा उप वन सरक्षक बूंदी से रिपोर्ट चाही गई जिसके कम मे जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी से प्राप्त रिपोर्ट डीएसबी/बूंदी/आर्म्स ला0(न्यू)/2020/5268 दिनांक 10.8.2021 अनुसार पुलिस थाना सदर एंव वृताधिकारी वृत बूंदी की रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र की आवश्यकता के लिए विशेष कारण दर्शित नही होने से नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंषा नही की जाने से जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 बूंदी द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र आदेश कमांक/न्याय/आर्म्स/2021/25876 दिनांक 16.11.2021 से खारिज किया गया। हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि "उसको कृषि जिन्स बेचने आना जाना पडता है। अतः सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवययकता रहती है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यों का समुचित परीक्षण किये बिना आलौच्य जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि की है"। अपीलार्थी के उपर्युक्त तर्क के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलार्थी द्वारा ऐसे कोई ठोस आधार अभिलेख/कारण प्रस्तुत नही किये है जिससे उसको शस्त्र की आवश्यकता होना दर्शित होता हो। जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी ने भी अपनी रिपोर्ट डीएसबी/बूंदी/आर्म्स ला0(न्यू)/2020/5268 दिनांक 10.8.2021 मे पुलिस थाना सदर एंव वृताधिकारी वृत बूंदी की रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र की आवश्यकता के लिए विशेष कारण दर्शित नही होने से नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंषा नही की जाने से अपीलांट द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु दिनांक 18.6.2021 को प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र को जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 बूंदी ने आलौच्य जेरअपील आदेश कमांक/न्याय/आर्म्स/2021/25876 दिनांक 16.11.2021 से खारिज किया गया। जिसमे किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष प्रकट नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित होने से अपीलाट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 24.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(उर्मिला राजोरिया)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा